न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
356 / 15	14-09-2015	23/10/20

उनवान

01. एम टेक डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली – 14 जरिये डायरेक्टर अमित कुमार झा पुत्र श्री पशुपति नाथ झा जाति ब्राहमण

———:: वादी

बनाम

01. श्रीमती मंजू देवी पत्नी लेखराज उम्र करीब 29 साल जाति अहीर निवासी ग्राम खिजूरीवास तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. शीशराम पुत्र सूरजभान जाति गुर्जर
03. हरलाल पुत्र श्री जीवना जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने वाद इश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 393/0.01 है0, 394/1.01 है0 वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर के 51/60 हिस्सा तथा आराजी खसरा नम्बर 392/1.04 है0 वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा का 81/90 हिस्सा इस दावें में विवादित आराजी है। एम टैक डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली 14 का डायरेक्टर अमित झा पुत्र पशुपतिनाथ झा जाति ब्राहमण है जिसे कम्पनी की ओर से समस्त कार्यवाही करने का अधिकार है जिस स्थिति में यह दावा डायरेक्टर अमित झा के द्वारा दायर किया जा रहा है। विवादित आराजी वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी से अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। विवादित आराजी से श्री घीसाराम पुत्र बैय्याराम जाति अहीर निवासी खिजूरीवास तहसील तिजारा का कोई सरोकार किसी प्रकार का नहीं है और ना ही उसे वादी कम्पनी से अपनी ओर से आराजी मुतनाजा को विक्रय करने बाबत कोई अधिकार दिये उक्त श्री घीसाराम ने वादी कम्पनी की ओर से फर्जी रिज्यूलेशन बना कर तथा अपराधिक षडयंत्र रचकर वादी कम्पनी को नुकसान पहूचाने की नियत से विवादित आराजी खसरा नम्बर 393, 394 के 51/60 हिस्सा तथा 392 के 81/90 हिस्से में से 0.393 है0 भूमि का बयनामा अपनी पुत्रवधु प्रतिवादी संख्या 1 के हक में दिनांक 17.02.2011 को उपपंजीयक प्रथम अलवर के यहां पंजिबद्व करा दिया। बयनामा दिनांक 17.02.2011 में आराजी खसरा नम्बर 392 के 81/90 हिस्से में से 0.393 है0 भूमि का विक्रय किया जाना दर्ज किया है

[illegible] तरमीम [illegible] किया गया। मौकामाल से विवादित [illegible] के [illegible] आराजी [illegible] ग्राम मिलकपुर मुर्फे तहसील तिजारा जिला [illegible] मौजूदा ग्राम [illegible] तहसील तिजारा में [illegible] प्रथम [illegible] के यह [illegible] दिनांक [illegible] है जिसमें [illegible] आराजी [illegible] का बयनामा [illegible] करवाया है [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में [illegible] का भुगतान हुआ है [illegible] [illegible] जिससे भी स्पष्ट है कि मौकामाल द [illegible] विवादित आराजी का बयनामा किया जा [illegible] विवादित आराजी का बयनामा दिनांक 17.12.2011 [illegible] बयनामा के प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक [illegible] पंजीबद्ध करवाया गया है [illegible] जो दिनांक 26.06.2006 व 17.10.2006 व दिनांक [illegible] समय बाद बयनामा करवाया जाना भी [illegible]

[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] आपसी सहमति से राजीनामा पत्र का निष्पादन किया [illegible] किया।

[illegible]

[illegible] किया व [illegible] पर अमल किया। दावा [illegible] सहित तहसील तिजारा जिला अलवर के खसरा [illegible] आराजी खसरा नम्बर 86/1 [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 का नाम [illegible] में अमल दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

[illegible]

(डी. [illegible])
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

... तिजारा (अलवर) राज0
...कारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

...68/15 तारीख दायर 14-09-2015 तारीख फैसला 23/10/20

उनवान

01. एम टेक डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली – 14 जरिये डायरेक्टर अमित कुमार झा पुत्र श्री पशुपति नाथ झा जाति ब्राहमण

बनाम ———:: वादी

01. श्रीमती मंजू देवी पत्नी लेखराज उम्र करीब 29 साल जाति अहीर निवासी ग्राम खिजूरीवास तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. शीशराम पुत्र सूरजभान जाति गुर्जर
03. हरलाल पुत्र श्री जीवना जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय हुकमइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिक्री ::–

वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर के खसरा नम्बर 393/0.01 है0, 394/1.01 है0 में से 51/60 हिस्सा तथा आराजी खसरा नम्बर 392/1.04 है0 में से 81/90 हिस्सा पर वादी कम्पनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दर्ज किया जावे।

23/10/20
(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)